

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA



# दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-10032022-234070  
SG-DL-E-10032022-234070

असाधारण  
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 153]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 10, 2022/फाल्गुन 19, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 519
No. 153]	DELHI, THURSDAY, MARCH 10, 2022/PHALGUNA 19, 1943	[N. C. T. D. No. 519

भाग IV  
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (व्यय-I) विभाग  
अधिसूचना

दिल्ली, 10 मार्च, 2022

सं. 11/2021-राज्य कर (दर)

सं. फा. 03(150)/वित्त (व्यय-I)/2021-22/डीएस- I/137.—दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 9 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, के वित्त विभाग (राजस्व-I) की अधिसूचना संख्या 39/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 27 नवंबर, 2017, जिसे सं0फा0 03(56)/वित्त (राजस्व-I)/2017-18/डीएस-VI/762, दिनांक 27 नवंबर, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, के भाग-IV, में प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा:-

1. उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रमांक 1 के सामने,

(i) कॉलम (3) में, प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "(क) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित किसी कार्यक्रम के अधीन समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को निःशुल्क वितरण के लिए आशयित और यूनित अभिधानों में रखा खाद्य निर्मितियां;

(ख) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित आईसीडीएस या इसी तरह की योजना में आपूर्ति के लिए फोर्टिफाइड चावल कर्नेल (प्रीमिक्स) को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) कॉलम (4) में, प्रविष्टि में, "खाद्य निर्मितियों" शब्द के लिए दोनों जगहों पर जहां वे हैं "माल" शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

2. यह अधिसूचना 1 अक्टूबर, 2021 से लागू होगी।

**नोट:** प्रधान अधिसूचना संख्या 39/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 27 नवंबर, 2017, जिसे सं0फा0 03(56)/वित्त (राजस्व-I)/2017-18/डीएस-VI/762, दिनांक 27 नवंबर, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, के भाग-IV, में प्रकाशित किया गया था।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर,  
मनोज कुमार, उप सचिव-I (वित्त)

**FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT  
NOTIFICATION**

Delhi, the 10th March, 2022

**No. 11/2021- State Tax (Rate)**

**No. F. 3(150)/Fin.(Exp-I)/2021-22/DS-I/137.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of National Capital Territory of Delhi, in the Department of Finance (Expenditure-IV), No. 39/2017-State Tax (Rate), dated the 27<sup>th</sup> November, 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, *vide* number F. 3(56)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/762, dated the 27<sup>th</sup> November, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, against S. No. 1, -

(i) in column (3), for the entry, the entry "(a) Food preparations put up in unit containers and intended for free distribution to economically weaker sections of the society under a programme duly approved by the Central Government or any State Government;

(b) Fortified Rice Kernel (Premix) supply for ICDS or similar scheme duly approved by the Central Government or any State Government." shall be substituted;

(ii) in column (4), in the entry, for the words "food preparations" at both the places, where they occur, the word "goods" shall be substituted;

2. This notification shall come into force with effect from 1<sup>st</sup> day of October, 2021.

**Note :** The principal notification No. 39/2017-State Tax (Rate), dated the 27<sup>th</sup> November, 2017, was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, *vide* number F3(56)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/762, dated the 27<sup>th</sup> November, 2017.

By Order and in the Name of the Lt. Governor  
of the National Capital Territory of Delhi,  
MANOJ KUMAR, Dy. Secy. I (Finance)